

विषय:-याचिका क्रमांक 1385/2016 श्री सचिन उपाध्याय विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।
संदर्भ:-मुख्य वन संरक्षक सिंह परियोजना, ग्वालियर का पत्र क्रमांक/स्था0/16/312
दिनांक 5.3.2016

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के साथ प्राप्त याचिका की प्रति मूलतः संलग्न प्रेषित है।
याचिका क्रमांक 1385/2016 श्री सचिन उपाध्याय विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में
वन मण्डलाधिकारी, कूनों वन्यप्राणी वन मण्डल श्योपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया
जाना प्रस्तावित है।

संलग्न:- याचिका की प्रति मूलतः।

(जे० के० मोहन्ती)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता/शिकायत)
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रदेन सचिव, वन (आई.डी.सी.)

उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रभारी अधिकारी की
निधुक्ति हेतु आदेश जारी किया जाकर नली प्रश्न
समर्पण हेतु विधि विभाग को अंकित की जाती है
कृपया पक्ष समर्पण का आदेश जारी करने का
कष्ट करें।

विधिविभाग

पदेन सचिव
वन आई.डी.सी.

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ 086

भोपाल, दिनांक : 09/3/2016

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक-5) आदेश सत्ताईस के नियम-1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए ~~मध्यप्रदेश वन विभाग~~ ~~को माननीय उच्च न्यायालय के~~ ~~प्रकरण क्रमांक/085/2016~~ द्वारा श्री ~~विजय अप्पल~~ विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में शासन की ओर से म.प्र.राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवधनों पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें संचालित करने लिए एवं कार्य करने और उप संज्ञात होने के लिये नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश किया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तर दायित्वों के अतिरिक्त वे अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी स्थिति में जिसके बारे में नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा, जैसा की आवश्यकता है और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण में विधि विभाग से परामर्श किया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में निर्दिष्ट की जाएगी।
- (2) समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनसे कि शासकीय अभिभावक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- (5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
 (क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 (घ) मामले के विरदीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले में उनके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टता या म.प्र. राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है, जब विधि विभाग को सूचित करना हो, उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए विभाग को भेजेगा।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्ति नहीं कर दिया जाय।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई नहीं रह जाये।

- (13) प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही बात का विनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति तत्काल प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।
- (14) प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी बात के प्रक्रम पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव एतद् उस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाये, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।
- (15) न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल आदेश का अध्ययन कर उन बिन्दुओं को अलग से छांटे जिन पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन किस विनिर्दिष्ट दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है। तत्पश्चात् प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अथवा सक्षम अधिकारी का जहाँ से आवश्यक कार्यवाही की जाना है ध्यान आकर्षित कराएगा एवं निश्चित समयावधि में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगा।
- (16) जिन प्रकरणों में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया जाता है उन सभी प्रकरणों में मुख्य सचिव का उल्लेख विलोपित करते हुए प्रकरण में रिटर्न प्रस्तुतीकरण किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(8000 9.3.11)
(अमृत के.पी.बास्कर)
सचिव

वनोपज अन्तर्विभागीय समिति एवं पदेन सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक : 09/3/2016

पृ. क्रमांक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ 086

प्रतिलिपि :-

1. महाधिवक्ता म.प्र. उच्च न्यायालय म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधान कार्य विभाग भोपाल
3. जिलाध्यक्ष जिला म.प्र.।
4. ~~प्रभारी अधिकारी को नोडल प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर और " उपस्थिति प्रमाण पत्र " प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक मेट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और अपनी प्रगति के साथ उसे विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति/रिपोर्ट इस विभाग के साथ विधि विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाए।~~
5. ~~मुख्य वन संरक्षक, सिद्धे परियोजना~~ की ओर लेख है कि प्रकरण से संबंधित याचिका एवं समस्त दस्तावेज संबंधित प्रभारी अधिकारी को तत्काल सौंपकर इस विभाग को अवगत करने का कष्ट करें।
6. मुख्य वन संरक्षक वृत्त म.प्र.।
7. ~~म.प्र. शासन, वन विभाग (म.प्र. शासन)~~ म.प्र. भोपाल की ओर उनकी अशासकीय टीप क्रमांक/...83... दिनांक 09/03/16 द्वारा दिये गये प्रस्ताव के संबंध में सूचनार्थ।
8. उप वन संरक्षक न्यायालीन प्रकरण जबलपुर मध्यप्रदेश।
9. रजिस्ट्रार म0प्र0 उच्च न्यायालय म0प्र0।
10. शासकीय अधिवक्ता म0प्र0 उच्च न्यायालय म0प्र0।
11. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सर्तकता शिकायत/नोडल अधिकारी न्यायालीन प्रकरण) मध्यप्रदेश भोपाल।

KIND ATTENTION TO

OIC:- TIME LIMIT.

वनोपज अन्तर्विभागीय समिति एवं पदेन सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/स्था०/१६/ ३१२
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक/५/३/२०१६

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(सतर्कता/शिकायत)
सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश,
भोपाल

विषय :- Notice Respondent No.3 in writ
Petition(Mandamus/Prohibition/Certiorari/Qua Warrant) No. WP/
1385/2016

निवेदन है कि विषयांतर्गत रिट पिटीसन की छायाप्रति आपकी ओर संलग्न कर
अनुरोध है कि उक्त याचिका का उत्तर दिनांक १६-०३-२०१६ के पूर्व माननीय उच्च न्यायालय,
ब्रांच ग्वालियर में प्रस्तुत किया जाना है। अतः प्रकरण में वन मण्डलाधिकारी कूनो वन्यप्राणी
वन मण्डल श्योपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(विश्राम सागर शर्मा)
मुख्य वन संरक्षक
सिंह परियोजना, ग्वालियर (म०प्र०)

पृष्ठा० क्रमांक/स्था०/१६/

ग्वालियर, दिनांक/...../...../२०१६

प्रतिलिपि :-


- 1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म०प्र० भोपाल की ओर विषयांकित रिट
पिटीसन की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- वन मण्डल अधिकारी, कूनो वन्यप्राणी वन मण्डल श्योपुर की ओर उपरोक्तानुसार
सूचनार्थ अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक
सिंह परियोजना, ग्वालियर (म०प्र०)

MCC
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सतर्कता/शिकायत
म.प्र. भोपाल
८-३-१६

TL-2 days
by hand



(A5)

In the High Court of M.P, Bench at Gwalior

Writ Petition No. 1385/2016 (S)

Petitioners : Sachin Upadhyay
V/s


Respondents: State of M.P. & Others

DECLARATION
(Under Rule 25 Chapter 10)

The copies, as required by Rule 25 of chapter X of High Court of MP Rules' 2008 have been served upon A5 (The person upon whom the copies have been served) at.....(time) on.....(date) in Gwalior (Place).


Date :


Place : Gwalior

 **Abhishek Mishra**
Advocate

Date :

Place : Gwalior

 **Sachin Upadhyay**
Through Counsel

 **Abhishek Mishra**
Advocate

In the High Court of M.P, Bench at Gwalior

Writ Petition No...../2016 (S)

Petitioners : Sachin Upadhyay
V/s
Respondents: State of M.P. & Others

INDEX


S.No.	Description of Documents	Annexure No.	Page No.
1.	Chronology of Events	Nil	
2.	Memo of Petition	Nil	1-5
3.	Affidavit Thereto	Nil	6
4.	List of Enclosures	Nil	7
5.	Govt. Order	P/1	8-11
6.	Post Allocation Order	P/2	12-13
7.	Appointment Order	P/3	14-16
8.	Remuneration Increase	P/4	17
9.	Contract Period Extension	P/5	18
10.	Contract Period Extension	P/6	19
11.	Contract Period Extension	P/7	20
12.	Service Termination order	P/8	21-22
13.	Report of 12 th Five Year Plan	P/9	23-26
14.	Power		27

Date :

Humble Petitioner

Place : Gwalior

Sachin Upadhyay
Through Counsel

 Abhishek Mishra
Advocate